Sanchi
एम पी स्टेट को-ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड,
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल - 462024
(मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

सन्दर्भ/Ref: 228 / क्रय / एमपीसीडीएफ / 2021 / 2343 Date: 28/06/21

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सहकारी दुग्ध संघ
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / जबलपुर / बुंदेलखण्ड (सागर)

विषयः– एमपीसीडीएफ / दुग्ध संघों में संशोधित भंडार क्रय / विक्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020 (सशोधित)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमाक 11878 / क्रय / एमपीसीडीएफ / दिनांक 21 / 10 / 2021

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि एमपीसीडीएफ के भंडार क्रय विक्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020 (सशोधित) की कंडिका क्रमांक 11.4 में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन की जाती है :– **" तीन बार निविदा आमंत्रित करने पर तीसरी बार भी तकनीकी अर्हताओं मे अगर एकमात्र निविदाकार पात्र है तो उसकी वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा में प्राप्त दरें उपयोगिता के परीक्षण उपरांत बाजार दर के अनुरूप पाये जाने की दशा में स्वीकार की जा सकेगी।"**

(प्राधिकृत अधिकारी, एमपीसीडीएफ द्वारा अनुमोदित)

प्रबंध संचालक

प्रतिलिपिः–
1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, एवं प्राधिकृत अधिकारी, एमपीसीडीएफ भोपाल
2. महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन / समन्वय) एमपीसीडीएफ, भोपाल
3. उप महाप्रबंधक (वित्त / विपणन) एमपीसीडीएफ, भोपाल

AGM (MED) 01/07/21

P.A.

M.D. Dairy

28/6/2021

Purchase File

एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड
M.P. STATE CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LTD.
(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल -462024
Dugdha Bhawan, Dugdha Marg, Habibganj, BHOPAL-462024
Telephone Nos : +917552580400, 2580401, 2580402, 2580403
e-mail : ho.mpcdf@nic.in
Website :www.mpcdf.gov.in
Fax No .: +917552583149

सन्दर्भ/Ref : 3578 /कय/एमपीसीडीएफ/2020

Date : 23/10/2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/बुंदेलखंड(सागर)

विषय :एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों हेतु संशोधित भंडार कय/विकय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में लागू भंडार कय/विकय नियम दिनांक 10.8.2020 से प्रभावशील किए गए है। उक्त नियमों में विभिन्न स्तरो से संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिन पर विचार-विमर्श उपरांत एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों हेतु संशोभित भंडार कय-विकय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020 प्राधिकृत अधिकारी महोदय से अनुमोदन उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

प्रबंध संचालक

प्रतिलिपिः-

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पशुपालन विभाग एवं प्राधिकृत अधिकारी, एमपीसीडीएफ, भोपाल
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/बुंदेलखंड (सागर)
3. महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन/वित्त/समन्वय) एमपीसीडीएफ, भोपाल.
4. प्रभारी (विपणन/प्रशासन) एमपीसीडीएफ, भोपाल.
5. सहा. महाप्रबंधक (सं.संचा.) एमपीसीडीएफ, भोपाल.
6. प्रभारी (आरएंडडी)/प्रबंधक (गु.नि.) एमपीसीडीएफ, भोपाल.

सहा. महाप्रबंधक (एमएंडपी)

एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों हेतु भण्डार क्रय, विक्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020

भाग 1 – वस्तुओं / सेवाओं का उपार्जन

1. प्रस्तावना (Introduction)

कय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमपीसीडीएफ, दुग्ध संघों एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु "भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020," लागू किया जाता है।

2. प्रभावशीलता (Applicability)

ये नियम एमपीसीडीएफ, दुग्ध संघों एवं उनके घटकों – पशु आहार संयंत्रों, मिनी डेयरी संयंत्रों तथा शीतकेन्द्रों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु लागू होंगे ।

3. परिभाषाऍं (Definitions)

3.01 क्रयकर्ता (indentor) से अभिप्रेत है कय आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी।

3.02 सामग्री (Goods) से अभिप्रेत है कयकर्ता द्वारा लोक दायित्व के निर्वहन में उपयोग हेतु कय की जाने वाली वस्तुयें/सेवायें लेकिन इसमें पुस्तकें, प्रकाशन, सामयिक पत्र–पत्रिकायें आदि शामिल नहीं है।

3.03 उपार्जनकर्ता अभिकरण से अभिप्रेत है कयकर्ता की मांग के परिप्रेक्ष्य में प्रदायकर्ता के माध्यम से सामग्री/सेवाऍं उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था।

3.04 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (Government e Marketplace) से अभिप्रेत है भारत सरकार का ई मार्केट (GeM)

3.05 एमएसएमई– भारत सरकार द्वारा परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी / उद्यम

3.06 प्रदायकर्ता (supplier) से अभिप्रेत है कयकर्ता को लोक सेवाओं के सम्बन्ध में उपयोग हेतु वस्तुयें/सेवायें प्रदान करने वाले निर्माता/ सेवा प्रदाता/उद्यम /विभाग/संस्था/फर्म/प्रदेश में गठित स्व–सहायता समूह/व्यक्ति आदि।

3.07 पंजीकृत आपूर्तिकर्ता (Registered supplier) से अभिप्रेत है सीमित निविदा प्रकिया में भाग लेने हेतु एमपीसीडीएफ, दुग्ध संघों या पशु आहार संयंत्रों में उपार्जनकर्ता अभिकरणों में पंजीकृत प्रदायकर्ता।

3.08 निविदा प्रपत्र (Tender Document) से अभिप्रेत है ऐसे समस्त दस्तावेज जिनमें किसी सामग्री/सेवा की आवश्यकता, मात्रा, तकनीकी विवरण एवं विशिष्टयां, कय/उपार्जन हेतु निर्धारित मापदण्ड, अनुमानित मूल्य, प्रदाय स्थल, कार्य की सूची, कार्य का तिथिवार

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

निर्धारण, कार्य सम्पादन की अंतिम तिथि, सुरक्षा निधि/गारंटी मनी भुगतान की शर्त आदि सहित कय हेतु आवश्यक अन्य सभी जानकारियाँ समाहित हों।

3.09 निविदा (Tender) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रण सूचना के प्रतिउत्तर में सामग्री/सेवायें प्रदान करने हेतु प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं वित्तीय औपचारिक प्रस्ताव।

3.10 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (Tender Inviting Authority) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी।

3.11 निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी (Tender Accepting Authority) से अभिप्रेत है निविदा स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी।

3.12 निविदाकर्ता (Tenderer) से अभिप्रेत है निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी।

4. क्रय के मूल सिद्धांत :

लोक हित में कय हेतु सक्षम प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह कय से संबंधित प्रकरणों में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ उचित और समान व्यवहार रखें।

5. क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी :

कय हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों द्वारा किए गए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अथवा सामान्य या विशिष्ट आदेश से अधिकृत अधिकारी को रहेंगे। सामान्यतः एमपीसीडीएफ हेतु प्रबंध संचालक तथा दुग्ध संघों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी सक्षम प्राधिकारी रहेंगे । निविदा समिति के द्वारा की गई अनुशंसाओं को मान्य/अमान्य करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा । सक्षम अधिकारी यदि चाहे तो किसी भी समय सकारण निविदाएं निरस्त करके पुनः आमंत्रित करने अथवा नस्तीबद्ध करने का निर्णय लेने में सक्षम होगा ।

6. सामग्रियों का प्रदायकर्ताओं के माध्यम से सीधे कय :

6.01 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (GeM) के माध्यम से स्वीकृत दर एवं कंपनी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी (सीपेट) एनडीडीबी की सहायक कम्पनी (इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी– IDMC, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड– IIL, इंडिया जेन आदि), नेशनल कोऑपरेटिव ऑफ डेयरी फेडरेशन्स ऑफ इंडिया (NCDFI) भारत शासन के उपक्रम (हिन्दुस्तान मशीन टूल्स– HMT, हिन्दुस्तान एंटोबायोटिक लिमिटेड) से एवं राष्ट्रीय डेयरी योजना (एनडीपी) अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जारी की गई सूची के वस्तु, मद (आयटम्स) सप्लायर्स अथवा अन्य शासकीय संस्थान तथा उपकम से उनकी निर्धारित दरों पर सीधे ही क्रय किये जा सकते हैं।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

6.02 गवर्नमेंट ई—मार्केट प्लेस अंतर्गत उपलब्ध सामग्री का कय प्राथमिकता के आधार पर गवर्नमेंट ई—मार्केट प्लेस के माध्यम से ही किया जाए ।

7. बिना कोटेशन के सामग्री का कय :

7.01 रु. 10,000/- तक की विविध आकस्मिक सामग्री का क्रय दर एवं गुणवत्ता के सत्यापन के उपरान्त स्थानीय बाजार से सीधे ही बिना भाव पत्र बुलाये किया जा सकता है। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएं की एक ही सामग्री कई बार क्रय न हो। यदि क्रय की जा रही सामग्री की निरंतर आवश्यकता परिलक्षित होती है तो नियमानुसार सीमित निविदा प्रणाली के आधार पर स्थानीय बाजार से दरें (कम से कम 3 कोटेशन) प्राप्त किये जाएं एवं क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन उपरान्त न्यूनतम दर पर क्रय कार्यवाही की जाए।

7.02 **तात्कालिक आवश्यकता हेतु अति आवश्यक सामग्री कय :**

एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों में कुंछ सामग्री तत्काल कय किया जाना अनिवार्य होता है । ऐसी सामग्री कय के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित समिति बाजार जाकर बाजार में उपलब्ध सामग्री की दरें सत्यापित कर न्यूनतम दर पर रु. 20,000/- तक की सामग्री कय कर सकेगी ।

8. आपूर्तिकर्ताओं का पंजीयन :

8.01 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण हेतु सूचना प्रसारित की जाए ऐसे अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को "पंजीकृत आपूर्तिकर्ता" के रूप में जाना जाएगा। जब कभी आवश्यक हो, सभी विभाग इन सूचियों का उपयोग कर सकेगें। ऐसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को सीमित निविदा के माध्यम से सामग्री के कय के लिए प्रथम दृष्टया पात्र समझा जाएगा। यह प्रयास किया जाएगा कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की संख्या अधिक से अधिक हो ताकि प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं प्राप्त हो सके। आपूर्तिकर्ता के पंजीयन के पूर्व उनकी उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, विकय उपरांत सेवा, वित्तीय पृष्ठ भूमि, पूर्व निष्पादन आदि का सावधानी पूर्वक सत्यापन किया जाना होगा।

8.02 आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं को एक निश्चित अवधि (1 से 3 वर्ष अधिकतम 2 वर्ष) के लिए पंजीकृत किया जाएगा जो सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इस अवधि के बाद जो आपूर्तिकर्ता पंजीकरा जारी रखना चाहता/चाहते हैं, उसे (उन्हें) नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। नये आपूर्तिकर्ता/आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण पर किसी भी समय विचार किया जा सकेगा, बशर्ते कि वे सभी अपेक्षित शर्तो को पूरा करते हों।

8.03 पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के कार्य निष्पादन एवं आचरण की सतत् निगरानी की जाएगी। यदि कोई पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पंजीयन की शर्तो का पालन नहीं करते हैं, समय पर सामग्री की आपूर्ति नही करते हैं अथवा गुणवत्ता विहीन सामग्री की आपूर्ति करते हैं या किसी एजेंसी के सामने झूठी घोषणा करते हैं या किसी ऐसे विशेष आधार पर जो लोकहित में नहीं है तो पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की सूची से हटाया जा सकेगा।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

8.04 यदि किसी भी निविदाकर्ता को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा । जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी ।

9. विभागीय कय समिति द्वारा कय :

9.01 सामग्री क्रय हेतु क्रय समिति गठित की जाए। क्रय समिति में दुग्ध संघों के गुण नियंत्रण, यांत्रिकी/संयंत्र संचालन, वित्त, क्रय शाखा तथा जिस शाखा के कार्य हेतु निविदा बुलाई जाए, के शाखा प्रभारी को रखा जाए । वार्षिक टेण्डर समिति में एवं रूपये 2 लाख से अधिक की सामग्री क्रय/प्राप्ति हेतु क्रय समिति में प्रभारी एम.आई.एस. को भी नामांकित किया जाए।

9.02 सेवाएं प्राप्त करने हेतु गठित समिति में संबंधित शाखा के शाखा प्रमुख, वित्त, क्रय, संयंत्र संचालन एवं एमआईएस शाखा के प्रभारी को रखा जाए ।

9.03 सामान्यतः केन्द्रीय तथा राज्य बजट प्रस्तुत होने के पश्चात दुग्ध संघों द्वारा संपूर्ण वर्ष की विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निविदाएं बुलाई जाएं। सेवाएं प्राप्त करने तथा सामग्री कय करने हेतु निविदा आमंत्रित करने के लिए निविदा की शर्तों एवं निविदा प्रपत्र इत्यादि का परीक्षण निविदा समिति द्वारा किया जाए । परीक्षण के समय अन्य दुग्ध संघों के निविदा प्रपत्रों को भी संज्ञान में लिया जाए । निविदा समिति द्वारा अनुशंसित निविदा दस्तावेज का अनुमोदन सक्षम अधिकारी (प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी) से कराया जाकर निविदाएं प्रकाशित की जाएं ।

9.04 दुग्ध संघों में उपयोग आने वाली सामान्य सामग्री (कॉमन आईटम्स) की संयुक्त निविदा दुग्ध संघों की आपसी सहमति से एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी एक दुग्ध संघ द्वारा बुलाई जा सकती है। बेहतर दरें प्राप्त करने की दृष्टि से एकजाई टेण्डर की यह व्यवस्था प्रोत्साहित की जाना चाहिए।

सीमित निविदा

9.05 रुपये 10,000/- से अधिक तथा रुपये 50,000/- तक के मूल्य की स्थानीय क्रय की सामग्री हेतु सीमित निविदा प्रणाली के आधार पर स्थानीय बाजार से दरें (कम से कम 3 कोटेशन) प्राप्त किये जाएं एवं क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन उपरान्त न्यूनतम दर पर क्रय कार्यवाही की जाए।

9.06 रुपये 50,000/- से रूपये 1,00,000/- तक के मूल्य की स्थानीय सामग्री हेतु दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ में उपलब्ध सूची के प्रदायकों/निर्माताओं/अधिकृत वितरकों/डीलर्स एवं अन्य प्रदायकों से पूर्ण मानकों का उल्लेख, दर आमंत्रण पत्र में किया जाकर दरें बुलाई जाए। न्यूनतम 3 सील्ड प्रस्तावों (कोटेशन) की प्राप्ति उपरान्त प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा गठित क्रय समिति के माध्यम से क्रय कार्यवाही की जाए।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

अल्पकालीन निविदा

9.07 ऐसी सामग्री/सेवा जो दुग्ध संकलन, संसाधन, उत्पाद निर्माण, विपणन गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु अतिआवश्यक है एवं विशेष परिस्थिति अथवा आपातकाल में इसकी व्यवस्था होना अति आवश्यक है, हेतु 7 दिन का समय देते हुए अल्पकालीन निविदा बुलाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से दुग्ध संघों में उपलब्ध सभी प्रदायकर्ता/निविदाकारों की सूची में से संबंधित वस्तु/मद/आयटम के प्रदायकर्ताओं को ई-मेल/दूरभाष/फैक्स आदि से भी सूचित किया जाए।

खुली निविदा

9.08 यदि क्रय किये जाने वाले मद/वस्तु (आईटम) का मूल्य रू. 1.00 (एक) लाख से रु. 5.00 (पॉच) लाख की सीमा में हो तो राज्य स्तर के दो समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाए। रुपये 5.00 (पॉच) लाख से अधिक राशि की सामग्री क्रय हेतु एक राष्ट्रीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाए। विज्ञापन कम से कम शब्दों का बनाया जाए। विस्तृत ब्यौरा एमपीसीडीएफ की Website पर Upload कराया जाए तथा विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि सामग्री क्रय संबंधी विस्तृत ब्यौरा वेबसाईट www.sanchidairy.com पर उपलब्ध है।

9.09 विज्ञापन देने हेतु जिन समाचार-पत्रों के साथ बार्टर डील है उन्हें प्राथमिकता दी जाए। यदि आवश्यकता के दृष्टिगत भिन्न समाचार-पत्र/ पत्रिका/ सोवेनियर में विज्ञापन जारी किया जाना है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से म.प्र. माध्यम के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जा सकता है ।

9.10 क्रय की जाने वाली प्रत्येक सामग्री/सेवा का मूल्य रू. 2 लाख से अधिक होने की स्थिति में क्रय हेतु ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया अपनाना होगी।

9.11 खुली निविदा निम्नानुसार टू बिड प्रणाली पर आधारित होगी :

(क) वाणिज्यिक शर्त और निबंधन के साथ सभी तकनीकी ब्यौरे वाली तकनीकी बिड, और

(ख) वित्तीय बिड जिसमें तकनीकी बिड में उल्लेखित उत्पादों के लिए उत्पादन-वार कीमत दर्शाई गई हो।

आवश्यकतानुसार निविदा में वित्तीय बोलियों (फायनेन्सियल बिड) को खोलने के पूर्व सामग्री प्रदर्शन (demonstration) के प्रावधान का समावेश किया जा सकेगा।

9.12 किसी भी सामग्री/सेवा क्रय हेतु विज्ञप्ति का प्रसारण प्रत्येक निविदा हेतु 21 दिवस की अवधि देते हुए किया जाएं। निविदा की शर्ते अपरिहार्य कारण होने पर क्रय समिति के पर्याप्त औचित्य प्रतिपादित करने पर ही बदली जाएं। निविदा शर्त बदले जाने की स्थिति में संशोधित निविदा सूचना (प्रथम निविदा के रूप में) जारी की जाए।

9.13 यदि तीन बार निविदा बुलाने पर भी किसी वस्तु/मद (आईटम) के लिये तीन से कम दरें प्राप्त होती हैं या प्राप्त दरें उचित प्रतीत नहीं होने से दरें फाईनल नहीं हो पाती हैं

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

तो विगत वर्ष की अनुमोदित दर पर अनुमोदित प्रदायक से वर्तमान प्रचलित बाजार दरों का संज्ञान लेते हुए क्रय जारी रखा जाए। साथ ही निविदा प्रक्रिया जारी रखी जाए ।

9.14 निविदा प्रकाशन के साथ साथ जिन प्रदायकों के पते उपलब्ध है उन्हें स्पीड पोस्ट/कोरियर/ई–मेल/फैक्स के माध्यम से टेण्डर प्रकाशन की सूचना दी जाने का प्रयास किया जाए ।

9.15 टेन्डर फार्म में आवश्यक शर्तो/मानकों का समावेश कर निविदाकारों को उपलब्ध कराये जाएं।

9.16 निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाएं तत्समय उपस्थित निविदाकर्ता/प्रतिनिधि एवं समिति सदस्यों के समक्ष खोली जाएं। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाली निविदा किसी भी स्थिति में नहीं खोली जाएं एवं वापस की जाएं। निविदा प्राप्ति के दिन कार्यालयीन अवकाश घोषित होने की स्थिति में सम्बंधित शाखा द्वारा नियत समय तक निविदा प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

9.17 टेण्डर फार्म जमा करने हेतु एक निविदा पेटी रखी जाए अथवा टेण्डर कार्यालय की आवक शाखा में प्राप्त किये जाएं।

9.18 यदि आवश्यक हो तो क्रय की जाने वाली सामग्री के नमूने भी बुलाए जाएं।

9.19 प्रथम निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय न करने अथवा वांछित गुणवत्ता की सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में द्वितीय निविदाकार यदि प्रथम न्यूनतम दर पर प्रदाय करने को सहमत हो तो उनसे सामग्री क्रय की जा सकती है। परन्तु प्रथम न्यूनतम निविदाकर्ता की धरोहर राशि (ईएमडी) जप्त करने/ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जाए। द्वितीय निविदाकार यदि प्रथम न्यूनतम दर पर प्रदाय हेतु असहमत हो तो कोई भी सामग्री/मशीनरी द्वितीय न्यूनतम दर पर तात्कालिक अति आवश्यकता अनुसार मात्रा में क्रय की जा सकती है परन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकतम दो माह की अवधि में पुनः निविदा का प्रसारण कर नवीन दरों का निर्धारण हो जाए। परंतु अतिरिक्त व्यय की राशि प्रथम निविदाकार के देयकों से वसूली जाए । द्वितीय निविदाकार द्वारा असहमति देने पर यही प्रक्रिया तृतीय तथा शेष निविदाकार हेतु भी अपनाई जाए अर्थात उनकी दरों पर तात्कालिक अति आवश्यकता अनुसार क्रय किया जाए। परंतु अधिकतम दो माह की अवधि में पुनः निविदा की कार्यवाही की जाए।

9.20 तृतीय निविदाओं में भी दर प्राप्त अथवा अंतिम निर्णय न होने की स्थिति में समस्त प्रदायकों, जिनके पते उपलब्ध है तथा अन्य प्रदायकों के पते ज्ञात कर उन्हें स्पीड पोस्ट/कोरियर/ई–मेल/फैक्स के माध्यम से सूचित करते हुए 10 दिवस का समय देकर बन्द लिफाफे में दरे आमंत्रित की जाए। न्यूनतम तीन निविदा प्राप्त न होने की स्थिति में यदि समिति के अनुसार प्राप्त दरें उचित हैं एवं वर्तमान प्रचलित बाजार दरों अनुसार हों तो प्राप्त प्रस्ताव में से दरें फाईनल की जाएं ।

9.21 मुद्रित एवं अन्य स्टेशनरी क्रय प्रक्रिया सामान्य क्रय प्रक्रिया अनुसार रहेगी। विशेष स्टेशनरी सामग्री हेतु प्रतिष्ठित स्टेशनरी निर्माता जैसे कोरस, कैमलिन, जे.के., ओरियन्ट, जेरॉक्स आदि से सीधे ही अथवा वितरकों के माध्यम से पूरी छूट लेते हुए निर्माता द्वारा

MP State Cooperative Dairy Federation BHOPAL

कंपनी प्राइज लिस्ट के आधार पर निर्धारित दरों पर सामग्री क्रय की जा सकती है। इस हेतु इन इकाइयों द्वारा शासकीय मुद्रणालय, म.प्र. माध्यम आदि शासकीय एजेंसियों को जिन दरों पर सामग्री प्रदाय की जा रही है उसे अथवा कलेक्टर द्वारा जिले के लिए अनुमोदित दरों को आधार बनाया जाए।

9.22 सामान्यतः सामग्री क्रय हेतु न्यूनतम 1 वर्ष के लिये दरें बुलाई जाएं जो आगामी छः माह तक और बढाई जा सकेगी। इसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में भी किया जाएं। प्रदेश में स्थित सहकारी उपभोक्ता भंडारों/सहकारी संस्थान/सहकारी मुद्रणालय/सहकारी शक्कर कारखाने इत्यादि जिनका नियंत्रण सहकारिता विभाग/राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारियों के अधीन है, से सामग्री क्रय/मुद्रण कार्य करवाया जा सकता है। यदि उनकी दरें बाजार दर के समकक्ष या कम हो ।

9.23 सेवाओं के चयन हेतु निविदा (दुग्ध संकलन एवं वितरण व्यवस्था, टैंकर परिवहन आदि) तीन वर्ष की अवधि के लिये बुलाई जाएं । निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य संतोषप्रद होने एवं वाहनों की स्थिति तथा इंसुलेशन संतोषप्रद पाए जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जाए। इसका उल्लेख विज्ञापन में भी किया जाए।

9.24 टैंकर परिवहन निविदा प्रक्रिया पूर्व उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार रहेगी। यदि दुग्ध संघ द्वारा निविदा के माध्यम से निश्चित संख्या में टैंकर मांगे जाते हैं तो तकनीकी निविदा में मांगे गए टैंकरों की संख्या का अभिलेखों से परीक्षण किया जाए । निविदाकार के पास वांछित संख्या में टैंकर पाए जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाए ।

9.25 कंडिका क्रमांक 9.23 में उल्लेखित परिवहन सेवाओं हेतु निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा समिति द्वारा कार्य के लिए प्रतिमाह होने वाले वास्तविक व्ययों का आंकलन कर लिया जाना चाहिए जिसका भार निविदाकर्ता पर आना है । कार्य आवंटन आदेश न्यूनतम दर के आधार पर जारी किया जाए। यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाकर कार्य आवंटन आदेश जारी किया जाए ।

9.26 सेवाओं के चयन हेतु निविदा (सेवा प्रदायक ठेका, सुरक्षा ठेका आदि) तीन वर्ष की अवधि के लिये बुलाई जाएं । निविदाकारों हेतु औद्योगिक संस्थानों / दुग्ध संघों / खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सेवा प्रदाय का 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। निविदा अवधि पूर्ण होने, सेवाएं संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक – एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी। इसका उल्लेख विज्ञापन में भी किया जाए।

9.27 सुरक्षा/श्रमिक निविदाकर्ताओं द्वारा 0 प्रतिशत सेवा शुल्क की दरें निविदा में प्रस्तुत करने की स्थिति में ऐसे निविदाकार की निविदा को अपात्र माना जाए । उपरोक्त सेवाओं हेतु निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा समिति द्वारा श्रमिक/सुरक्षा ठेका कार्य के लिए प्रतिमाह होने वाले वास्तविक व्ययों का आंकलन कर लिया जाना चाहिए जिसका भार श्रमिक/सुरक्षा निविदाकर्ता पर आना है । कार्य आवंटन आदेश न्यूनतम दर के आधार पर जारी किया जाए। यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

की जाती हैं तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाकर कार्य आवंटन आदेश जारी किया जाए ।

9.28 चार्टर्ड एकाउंटेंट/अधिवक्ता/विधिक सलाहकार/ विपणन सलाहकार/तकनीकी सलाहकार/ प्रबंधकीय सलाहकार आदि की सेवा हेतु निविदाएं आमंत्रित न करते हुए मानदेय का भुगतान उनकी ख्याति/अनुभव/वरिष्ठता के आधार पर किया जा सकता है। इसप्रकार का निर्णय लेने के लिए एमपीसीडीएफ स्तर पर प्रबंध संचालक तथा दुग्धसंघ स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपनियम अनुसार / संचालक मंडल के अनुमोदन उपरांत अधिकृत रहेंगे ।

9.29 दुग्ध चूर्ण, श्वेत मक्खन एवं घी क्रय हेतु एमपीसीडीएफ के अन्य दुग्ध संघों को प्राथमिकता दी जाए। दरों का निर्धारण एमपीसीडीएफ स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से विचार विमर्श उपरांत प्रचलित बाजार दर एवं उत्पाद निर्माण लागत के आधार पर किया जाए।

9.30 दुग्ध संघों से क्रय पश्चात दुग्ध चूर्ण, श्वेत मक्खन एवं घी की अतिरिक्त आवश्यक मात्रा अन्य राज्यों के मिल्क फेडरेशन/दुग्ध संघ/डेयरी विकास विभाग से दरें प्राप्त कर क्रय की जाए। उक्त सामग्री राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, शासकीय एजेंसी, शासकीय अन्डर टेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम से भी क्रय की जा सकती है।

9.31 अनुक्रमांक 9.28 एवं 9.29 पर दर्शित स्त्रोत से आपूर्ति न हो पाने पर दुग्ध संघों की आपसी सहमति से एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी एक दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध चूर्ण, श्वेत मक्खन एवं घी क्रय हेतु अन्य दुग्ध संघों के लिये भी निविदा द्वारा दर आमंत्रित की जाए, निविदा आमंत्रण के पूर्व समस्त दुग्ध संघों की आवश्यकता का आंकलन किया जाए। इसीप्रकार एमपीसीडीएफ/अन्य दुग्ध संघों द्वारा अन्य सामग्री क्रय हेतु भी समस्त दुग्ध संघों की आवश्यकता का आंकलन करते हुए एमपीसीडीफ की सहमति से संयुक्त निविदा आमंत्रित की जा सकेगी ।

9.32 उपकरण एवं मशीनरी क्रय–दुग्ध संयंत्रों के अधिकांश उपकरण/मशीनरी 15–20 वर्ष तक कार्यशील रहते हैं अतः उच्च गुणवत्ता के उपकरण/मशीनरी क्रय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) (जो कि भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम से गठित है तथा सहकारी डेयरी विकास क्षेत्र में तकनीकी परामर्श एवं टर्न की प्रोजेक्टस् हेतु राष्ट्रीय महत्व की संस्था है) की आनुषांगिक इकाई इण्डियन डेयरी मशीनरी कंपनी (आई.डी.एम.सी.) अथवा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड जो कि भारत शासन का उपक्रम है, से निर्मित मशीनरी उनकी दर अथवा अन्य सहकारी दुग्ध संघों में उनके द्वारा प्रदायित दरों में से न्यूनतम दर पर क्रय की जाए ।

9.33 ऐसे उपकरण/मशीनरी जो आई.डी.एम.सी. अथवा एच.एम.टी. द्वारा निर्मित/प्रदाय नहीं किए जाते हैं, उनका क्रय एमपीसीडीएफ द्वारा अनुमोदित दर (यदि उपलब्ध है) पर किया जाए। दुग्ध संयत्रों/शीतकेन्द्रों हेतु आवश्यक उपकरण मशीनरी क्रय संपादित करने हेतु दुग्ध संघ की मांग पर एमपीसीडीएफ स्तर से गठित तकनीकी समिति द्वारा क्रय की जाने वाली उपकरण/ मशीनरी/संयंत्र के मुख्य उपकरणों उदाहरणार्थ दुग्ध चूर्ण संयत्र, पशु आहार संयत्र, पाश्च्युराईजर (Pasteurizer), होमोजीनाईजर (Homogeniser), क्रीम

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

सेपरेटर (Cream Seperator), बॉयलर (Boiler) विद्युत मोटर, अमोनिया कम्प्रेसर (Ammonia Compressor), डीजल जनरेटर सेट (DG Set) आदि के मेक एवं ब्राण्ड निर्धारित किए जाएंगे, तत्पश्चात् इन्हें क्रय हेतु क्रय प्रक्रिया संपादित की जाए। दर फाईनल करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि निविदाकर्ताओं द्वारा ऐसी कितनी इकाईयां पिछले 5 वर्षों में देश के औद्योगिक संस्थानों/सहकारी दुग्ध संघों/ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रदाय की गई हैं एवं वहां इनकी परफॉरमेंस रिपोर्ट संतोषप्रद है या नहीं । क्रय हेतु मात्र न्यूनतम दर को आधार न माना जाए वरन् गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। क्रय समिति द्वारा कार्यवाही विवरण में प्रथम/द्वितीय/ तृतीय/आगामी न्यूनतम निविदा दरों को अमान्य करने का पूर्ण औचित्य अंकित किया जाए।

9.34 स्पेयर पार्टस का क्रय मशीनों एवं उपकरणों के निर्माता से यथा संभव सीधे ही किया जाए। यदि यह पाया जाए कि निर्माता द्वारा दरें काफी अधिक रखी गई है एवं उत्तम गुणवत्ता के आवश्यक स्पेयर अन्यत्र कम दामों में उपलब्ध है तब क्रय समिति के माध्यम से अन्य प्रतिष्ठित निर्माता एवं प्रदायकों से दरें बुलाकर क्रय कार्यवाही की जाए ।

9.35 इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर एवं फिटिंग प्रतिष्ठित निर्माताओं के स्थानीय अधिकृत विक्रेताओं/डीलरों से कम्पनी मूल्य सूची पर अधिकतम छूट प्राप्त कर क्रय कार्यवाही की जाए। इस हेतु विशिष्ट सामग्री के प्रतिष्ठित कंपनी के अधिकृत विकेताओं से एक वर्ष के लिए रेट कांट्रेक्ट अधिकतम छूट के साथ किया जाए । परंतु यह क्रय वित्तीय वर्ष में कुल रू. 1.00 (एक) लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.36 उपकरणों/मशीनरी/टैंकर्स/वाहनों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य दुग्ध संयंत्र एवं शीतकेन्द्र स्तर पर संभव नहीं हो तब यह कार्य निर्माताओं के अधिकृत सर्विस सेंटर से कराया जाए अथवा समान गुणवत्ता एवं वारंटी की सेवाएं कम दरों पर उपलब्ध होने पर गह कार्य स्थानीय स्तर पर करवाया जा सकता है । गरम्मत/रख रखाव कार्य स्थानीय स्तर पर कोटेशन बुलाकर समिति के माध्यम से किया जाए।

9.37 बल्क क्रय का लाभ लेने हेतु सामग्री सीधे ही निकटस्थ कारखाने से लेने का प्रयास किया जाए। यदि ऐसा संभव न हो सके तो स्थानीय होल सेलर/बल्क प्रदायकों से दरें आमंत्रित कर गुणवत्ता एवं दर के आधार पर क्रय किया जाए ।

9.38 भण्डार सामग्री/दुग्ध उत्पाद के आकस्मिक परिवहन के लिये ट्रक/अन्य उपयुक्त वाहनों के लिये स्थानीय परिवहनकर्ताओं से दरें सत्यापित कर (यदि दर रुपये 10,000 से कम है तो) परिवहन किया जाए अन्यथा अल्पकालीन निविदा प्रणाली अपना कर क्रय समिति के माध्यम से दरें फायनल की जाए।

9.39 ऐसी सामग्री जो कि फीचर/गुणवत्ता विशिष्ट है एवं विभिन्न निर्माताओं द्वारा भिन्न भिन्न फीचर्स/स्पेसिफिकेशन/गुणवत्ता की निर्मित की जाती है (यथा : जीप, टैंकर, कार, ए. सी., फर्नीचर एवं कम्प्यूटर–सहायक उपकरण आदि) के क्रय हेतु फीचर्स/स्पेसिफिकेशन/गुणवत्ता के आधार पर अधिकतम छूट के साथ क्रय कार्यवाही की जाए।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

10 धरोहर/प्रतिभूति राशि/सुरक्षा निधि

10.01 सामान्यतः धरोहर राशि (Earnest Money), क्रय की जाने वाली सामग्री के मूल्य की न्यूनतम 2 प्रतिशत राशि होना चाहिए। पशु आहार कच्चा माल सामग्री तथा दुग्ध चूर्ण / श्वेत मक्खन कनवर्शन हेतु भी न्यूनतम 2 प्रतिशत धरोहर राशि जमा कराई जाएगी। परंतु किसी विशेष वस्तु/मद (आयटम) हेतु यह अधिक भी रखी जा सकती है। निविदा की धरोहर राशि की वैधता निविदा की अंतिम वैधता की तिथि के बाद 45 दिन की अवधि के लिए वैध होना आवश्यक होगा । प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में प्रतिभूति राशि के भुगतान से छूट रहेगी ।

10.02 टेन्डर में सम्मिलित पार्टियों में से प्रथम एवं द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की अमानत राशि को रोककर शेष निविदाकारों की अमानत राशि अधिकतम 30 दिवस में वापिस की जाए। प्रथम न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा सामग्री/सेवा प्रदाय की स्थिति में द्वितीय निविदाकार की अमानत राशि दो माह में वापिस की जाए।

11 निविदा दरों की स्वीकृति

11.01 क्रय समिति, पूर्ण औचित्य के साथ न्यूनतम या अन्य दर के आधार पर सक्षम अधिकारी को अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। यदि किसी ऑफर की दर न्यूनतम नहीं है परन्तु संस्था हित में है तो समिति गुण दोष के आधार पर पूर्ण औचित्य एवं न्यूनतम दरों वाले निविदाकार की दर अस्वीकृत करने के कारण बताते हुए अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

11.02 दरों की स्वीकृति दरों की उपयुक्तता का परीक्षण करने के उपरांत बाजार दर के अनुरूप पाए जाने की दशा में की जा सकेगी। उपयुक्तता का परीक्षण करने हेतु अन्य दुग्ध संघों की दरों का भी संज्ञान लिया जाए ।

11.03 दर की स्वीकृति के उपरांत संबंधित निविदाकारों को अधिकतम दो माह की अवधि में क्रय आदेश जारी किया जाए।

11.04 तीन बार निविदा आमंत्रित करने के पश्चात तकनीकी अर्हताओं मे यदि एक मात्र निविदाकर्ता पात्र है तो उसकी फाइनेंशीयल/ वित्तीय बिड खोली जावेगी। क्रय की जाने वाली सामग्री /सेवाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा।

11.05 सामान्यतः प्रत्येक दुग्ध संघ द्वारा अपनी निविदा में अनुमोदित दर पर क्रय किया जाए। यदि किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई सामग्री की दर अनुमोदित नहीं हो पाए एवं अति आवश्यक है तो उसे अन्य दुग्ध संघों की न्यूनतम दर पर क्रय किया जा सकता है। परंतु यह दर एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए ।

12 प्रदायकर्ता को प्रदाय आदेश

12.01 अनुमोदित प्रदायक को निविदा प्रकाशन नम्बर एवं निविदा की शर्तो को दर्शाते हुए दर अनुमोदन पत्र जारी किया जाए। दर अनुमोदन पत्र दो प्रतियों में प्रेषित कर एक प्रति

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

प्रदायक से सहमति स्वरुप हस्ताक्षर करवाकर सील लगवाकर वापस प्राप्त की जाए। एक क्रय आदेश में रू. 5.00 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री एवं समस्त प्रकार की सेवा प्राप्ति हेतु संबंधित प्रदायक से स्टाम्प पेपर पर विधिवत अनुबंध किया जाए। राज्य अथवा केन्द्र शासन के अधीन कार्यरत शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थानों/निगम मण्डल/ एजेन्सियों /कार्यालयों से कार्य कराने पर अनुबंध के प्रावधान से छूट रहेगी।

12.02 प्रदायकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित समयावधि में अपेक्षित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय, प्रदाय आदेश में अंकित स्थान पर सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में प्रदाय नहीं किए जाने की दशा में निविदा की शर्तों के अनुसार प्रदायकर्ता पर शास्ति आरोपित की जा सकेगी। इस दशा में बिन्दु कमांक 20 में उल्लेख अनुसार कार्यवाही देय होगी ।

13 पुनरावृत्ति आदेश (Repeat Order) :

13.01 पुनरावृत्ति आदेश पूर्व आदेश, जो हाल ही में दिया गया है, के विरूद्ध दिया जा सकेगा, परन्तु;

13.02 किसी भी दशा में प्रारंभिक आदेश देने के छः माह के बाद पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा,

13.03 यदि मूल आदेश अत्यावश्यक या आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु दिया गया था तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जायेगा,

13.04 नवीन मांग, मूल मांग की 50 प्रतिशत मात्रा से अधिक नहीं होगी,

13.05 सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मूल आदेश देने के बाद से मूल्यों में गिरावट नहीं आई है और पुनरावृत्ति आदेश दिया जाना शासन के हित में है। इसके साथ ही प्रदायकर्ता से भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा निर्धारित दरों से कम दर पर इस अवधि में कहीं अन्यत्र सामग्री न तो प्रदाय की गई है और न ही प्रदाय किए जाने हेतु दरें ऑफर की गई है।

14 रिवर्स ई–ऑक्शन प्रक्रिया

14.01 नेशनल कोऑपरेटिव ऑफ डेयरी फेडरेशंस ऑफ इंडिया द्वारा ई–मार्कट अंतर्गत रिवर्स ई–ऑक्शन कय प्रकिया प्रारंभ की गई है जिसमें एनसीडीएफआई को वांछित मात्रा सूचित करने पर उनके द्वारा कय हेतु वेब पोर्टल में प्रकाशन किया जाएगा । इच्छुक निविदाकार निर्धारित तिथि एवं समय के स्लॉट में दरें प्रस्तुत कर स्लॉट की समयावधि में दरें कम कर सकते हैं । स्लॉट समाप्ति के पश्चात् न्यूनतम दरें अंतिम मानी जाएगी । इसका अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा किए जाने पर कय कार्यवाही की जा सकेगी ।

14.02 ई–पोर्टल पर केताओं हेतु कोई भी शुल्क न होने के कारण तथा मक्का, चावल, बाजरा, बार्ली, डीओसी, राईस पॉलिश, डीओआरबी तथा अन्य कच्चे माल के पर्याप्त संख्या में प्रदायक होने के कारण पशु आहार संयंत्रों द्वारा कच्चे माल के कय हेतु ई–पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है ।

MP State Cooperative Dairy Federation BHOPAL

15 क्रय/उपार्जन प्रकिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, औचित्य एवं मितव्ययिता :

15.01 क्रय/उपार्जन में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और औचित्य सुनिश्चित करने हेतु निम्न सावधानियां अपेक्षित है :

15.02 निविदा दस्तावेज स्वतः स्पष्ट और विस्तृत होना चाहिए और इसमें कुछ भी अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभावी निविदा प्रस्तुत करने के लिए जो सूचनाएं किसी निविदाकर्ता के लिए आवश्यक होती है वह सभी आवश्यक सूचनाएं साधारण भाषा में निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। निविदा दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का भी समावेश होना चाहिए :

(क) निविदाकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और अर्हता मापदण्ड अर्थात् अनुभव का न्यूनतम स्तर, विगत कार्य निष्पादन, तकनीकी क्षमता, विनिर्माण सुविधाएं और वित्तीय स्थिति आदि,

(ख) सामग्री के लिए पात्रता मापदण्ड जिसमें समाग्री आदि की उत्पत्ति के बारे में किसी कानूनी प्रतिबंध या शर्त का उल्लेख किया गया हो जिसे सफल आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षिता है,

(ग) निविदाएं भेजने की प्रकिया के साथ-साथ तारीख, समय और स्थान,

(घ) निविदा खोलने की तारीख, समय और स्थान,

(ड) सुपुर्दगी/प्रदायगी की शर्तें,

(च) निष्पादन को प्रभावित करने वाली विशेष शर्तें, यदि कोई हों।

15.03 निविदा दस्तावेज में ऐसा प्रावधान रखा जाना चाहिए, जिससे निविदाकर्ता, निविदा की शर्तों, निविदा की प्रकिया और/या उसकी निविदा अस्वीकर कर दिए जाने पर प्रश्न कर सके।

15.04 निविदा दस्तावेज में परिणामी संविदा से उत्पन्न विवादों, यदि कोई हो, का निराकरण करने के लिए उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए।

15.05 निविदा दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए की परिणामी संविदा की व्याख्या, भारतीय कानूनों के तहत् की जाएगी।

15.06 निविदकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।

15.07 निविदा खोलने के अवसर पर निविदाकर्ताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

15.08 अपेक्षित सामग्री के विनिर्देशनों (specification) को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि संभावित निविदाकर्ता सार्थक निविदाएं प्रस्तुत कर सकें। पर्याप्त संख्या में निविदाकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से विनिर्देशन यथा संभव, विस्तृत एवं व्यापक (generic) होने चाहिए।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

15.09 निविदा–पूर्व सम्मेलन (pre-bid conference) अत्याधुनिक और कीमती उपकरण क्रय/उपार्जन के लिए तैयार निविदाओं या विशेष स्वरूप की निविदाओं के संबंध में निविदा–पूर्व सम्मेलन के लिए निविदा दस्तावेज में एक समुचित प्रावधान किया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेज में निविदा–पूर्व सम्मेलन की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह तारीख, निविदा खुलने की तारीख से पर्याप्त पूर्व की होनी चाहिए।

15.10 निविदा दस्तावेजों में निविदाओं के मूल्याकंन हेतु मापदण्डों (criteria), जिनके आधार पर प्राप्त निविदाओं को समान स्तर पर मूल्यांकित किया जाकर न्यूनतम प्रदायकर्ता का निर्धारण किया जाएगा, का उल्लेख होना आवश्यक है।

15.11 प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन, निविदा दस्तावेजों में पूर्व में उल्लेखित शर्तो और निबंधनों के अनुसार किया जाएगा, निविदाओं का मूल्यांकन करने के लिए ऐसी किसी नई शर्त को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसका पहले उल्लेख नहीं किया गया हो। निविदाओं का निर्धारण निविदा की विषय वस्तु के आधार पर किया जाएगा।

15.12 निविदाएं प्राप्त होने की निश्चित समय–सीमा समाप्त होने के बाद निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाओं में परिवर्तन करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.13 विज्ञापित निविदा या सीमित निविदा के मामले में देर से प्राप्त हुई निविदाओं (अर्थात् निविदाएं प्राप्त करने की विनिर्देष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त हुई निविदाएं) पर विचार नहीं किया जाएगा।

16 निविदा दस्तावेजों की विषयवस्तु :

निविदा दस्तावेजों में निम्नानुसार सभ शर्तो और निबंधनों (terms and conditions) और सूचनाओं का समावेश होगा :

अध्याय–1 : निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश

अध्याय–2 : संविदा की शर्ते

अध्याय–3 : अपेक्षाओं की अनुसूची

अध्याय–4 : विनिर्देशन और अन्य संबंद्ध तकनीकी ब्यौरे

अध्याय–5 : कीमत अनुसूची (निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी कीमतें दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है)

अध्याय–6 : संविदा फार्म

अध्याय–7 : क्रयकर्ता/उपार्जनकर्ता और निविदाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य मानक, फार्म, यदि कोई हो,

M.P. State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

17. रख रखाव अनुबंध (Maintenance Contract) :

क्रय/उपार्जन की जाने वाली सामग्री की लागत और स्वरूप के आधार पर आवश्यकतानुसार सामग्री के आपूर्तिकर्ता के साथ या किसी अन्य सक्षम फर्म के साथ उचित अवधि के लिए रख रखाव संविदा की जा सकेगी। यह आवश्यक नहीं होगा कि यह सामग्री के आपूर्तिकर्ता के साथ ही किया जाए। ऐसी स्थिति में निविदा के माध्यम से दरों का अंतिमीकरण किया जाएगा ।

18. निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) :

18.01 सेवाओं (श्रमिक एवं सुरक्षा ठेका को छोड़कर) का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदाकर्ता से आवश्यकतानुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जा सकेगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि सामान्यतः सेवाओं के मूल्य के पांच से दस प्रतिशत होगी। निष्पादन प्रतिभूति राशि नगद या किसी भी वाणिज्यिक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद, बैंकर्स चैक एवं irrevocable बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकेगी। प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा।

18.02 निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यकताओं के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक होगा।

18.03 निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता को निविदा प्रतिभूति लौटाई जाएगी।

19. निर्माता इकाईयों का निरीक्षण :

उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदायकर्ता/उत्पादनकर्ता की उत्पादन क्षमता आंकलन हेतु उनके परिसर (Premises) का निरीक्षण किया जा सकेगा।

20. विलंब से वस्तु / सेवा प्रदाय पर क्षतिपूर्ति (Liqidated Damages) :

20.01 प्रदायक/निविदाकर्ता द्वारा वस्तु का प्रदाय निर्धारित तिथि पर हो इस बात का कड़ाई से पालन करना होगा । यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश के कियान्वयन में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में आदेश को निरस्त करने एवं प्रदायक की जोखिम एवं व्यय पर अन्य साधनों से कय की कार्यवाही पूर्ण करने का दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ को अधिकार होगा। नियत तिथि पर आपूर्ति न होने की दशा मे क्षतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी :

कमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
1.	15 दिवस तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	16 से 30 दिवस के मध्य	लागत का 2 प्रतिशत
3.	30 दिवस के पश्चात्	लागत का 5 प्रतिशत

सेवा प्रदायक द्वारा सेवा का प्रदाय निर्धारित मापदंड अनुसार हो इस बात का कड़ाई से पालन करना होगा । यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश के कियान्वयन में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में आदेश को निरस्त करने एवं प्रदायक की जोखिम एवं व्यय पर

M.P. State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

अन्य साधनों से सेवा प्राप्त करने का दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ को अधिकार होगा। निविदा में वर्णित शर्तों के अनुरूप सेवाएं प्रदान न करने की दशा मे क्षतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी :

कमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
1.	1 माह तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत
3.	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत

20.02 यदि प्रदायक/निविदाकर्ता/सेवा प्रदाता निविदा में उल्लेखित शर्तों के अधीन वस्तुओं को प्रदाय नहीं करता है अथवा अपेक्षित सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा आदेश निरस्त किया जा सकेगा, निविदाकर्ता/सेवा प्रदाता को एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जा सकेगा तथा निविदा की प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी ।

21 पुनः कय प्रस्ताव (Buy Back Offer) :

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया जा सकेगा कि विद्यमान सामग्री के स्थान पर नई और बेहतर सामग्री का कय किए जाने की दशा में विभाग नई सामग्री खरीदते समय विद्यमान पुरानी सामग्री का व्यापार (trade) कर सकेगा। इस प्रयोजनार्थ निविदा दस्तावेज में एक समुचित खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा ताकि संभावित और इच्छुक निविदाकर्ता तदनुसार अपनी दरें प्रस्तुत कर सकें। व्यापार की जाने वाली पुरानी सामग्री के मूल्य और उसकी स्थिति के आधार पर सफल निविदाकर्ता को पुरानी सामग्री सौंपे जाने के समय और तरीके का उल्लेख निविदा दस्तावेज में उचित ढंग से किया जाएगा। विभाग द्वारा नई सामग्री कय करते समय पुरानी सामग्री के व्यापार करने या न करने का निर्णय लिए जाने संबंधी प्रावधान भी निविदा दस्तावेज में किया जाएगा।

22. अन्य

22.01 किसी भी स्थिति में न्यूनतम निविदाकार से (विशेष आईटम, कम प्रदाय होने वाले आईटम एवं गठजोड कर दर प्रस्तुतीकरण जैसे प्रकरणों को छोड़कर) भी निगोशियेशन नहीं किया जाएं। यदि न्यूनतम निविदाकार की दरें अनावश्यक रूप से 10 प्रतिशत से अधिक पाई जाती हैं, तो पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएं।

22.02 पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने के निर्णय की स्थिति में पुनः निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, उस दौरान की अवधि के लिये न्यूनतम निविदाकार से तात्कालिक आवश्यकता की मात्रा के क्रय की कार्यवाही की जाए। शेष आवश्यक क्रय को पुनः निविदा आमंत्रित कर किया जाए।

22.03 सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही नेगोशियेशन किया जाए तथा संपूर्ण प्रक्रिया एवं निगोशियेशन की कार्यवाही लिपिबद्ध की जावें।

22.04 प्रत्येक निविदा प्रपत्र में यह अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाए कि सामान्यतः दर के संबंध में निगोशियेशन नहीं किया जायेगा आवश्यकता होने पर केन्द्रीय सर्तकता आयोग के निर्देशों के अनुसार ही निगोशियेशन की कार्यवाही की जायेगी।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

22.05 निविदा प्रपत्र में यह आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिये कि यदि न्यूनतम निविदाकार द्वारा निविदा में उल्लेखित सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय नहीं की जाती है, तो उस सामग्री की शेष मात्रा अन्य निविदाकारों के मध्य किस अनुपात में बांटी जावेगी। निविदा सूचना/प्रपत्र में इस शर्त के न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा पारदर्शी (transparent), योग्य (fair) एवं समान (equitable) अवसर देते हुए प्रदाय की मात्रा का विभाजन न्यूनतम निविदाकार के अतिरिक्त अन्य निविदाकारों के मध्य किया जाएं। यह शर्त दुग्ध संघों के पास उपलब्ध अतिरिक्त दूध से दुग्ध चूर्ण/श्वेत मक्खन निर्माण हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं पर भी लागू होगी ।

22.06 निविदाओं पर निर्णय या निविदाओं के निपटारे के लिये केन्द्रीय सर्तकता आयोग के निर्देशों में उल्लेखित समयसीमा का पालन किया जाए। उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई कय/विकय/सेवा इत्यादि हेतु दरें निर्धारित की जाना है तो इस हेतु राज्य शासन के कय नियमों एवं प्रकिया का अनुसरण किया जाए ।

23. तकनीकी परामर्श :

एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यो/परियोजनाओं जिनके लिए विषय विशेषज्ञ एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे कार्यों के कियान्वयन हेतु केन्द्र अथवा राज्य शासन के विभागों अथवा संस्थानों से बिना निविदा आमंत्रित किए आवश्यक तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा ।

24. निर्माण कार्य :

एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यो/परियोजनाओं अंतर्गत सिविल निर्माण कार्यो हेतु केन्द्र अथवा राज्य शासन के विभागों अथवा संस्थानों से बिना निविदा आमंत्रित किए आवश्यक सिविल कार्य कराया जा सकेगा ।

25. प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता दिए जाने के उद्देश्य से वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा कमांक एफ 6–14/2012/अ–11 भोपाल दिनांक 28 जुलाई 2015 के माध्यम से जारी मध्यप्रदेश भंडार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में उल्लेख अनुसार छूट प्रदान की जा सकेगी ।

26. आर्बिट्रेशन

किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

निराकरण न होने की स्थिति मे आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

II विक्रय प्रक्रिया

श्वेत मक्खन, घी, दूध एवं दुग्ध चूर्ण का स्कन्ध, दुग्ध संघ की आवश्यकता से अधिक होने पर सामग्री का विक्रय निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार किया जाए :

1. दूध, दुग्ध चूर्ण, घी, श्वेत मक्खन एवं अन्य उत्पाद अतिशेष होने पर यदि Bulk विक्रय की स्थिति निर्मित होती है तो सर्वप्रथम एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ द्वारा अन्य राज्यों के मिल्क फेडरेशन, दुग्ध संघ, शासकीय डेयरी विकास विभाग, मदर डेयरी आदि को विक्रय करने का प्रयास किया जाए। तत्पश्चात् विधिवत निविदाएं बुलाकर अधिकतम प्राप्त दरों पर विक्रय की कार्यवाही की जाए। यदि निविदा में प्राप्त दरें तत्समय राज्य मिल्क ग्रिड (एस.एम.जी.) की अंर्तदुग्धसंघीय दरों से कम हैं तो किसी भी बाहरी प्रतिष्ठान को विक्रय से पूर्व प्रदेश के अन्य सहकारी दुग्ध संघों को क्रय करने का अवसर दिया जाए।

2. श्वेत मक्खन, घी, दूध एवं दुग्ध चूर्ण विक्रय हेतु एक राष्ट्रीय तथा एक राज्यीय समाचार पत्र में अल्पकालीन निविदा (7 दिन का समय अवधि देते हुए) प्रकाशित कराई जाए। विज्ञापन कम से कम शब्दों का बनाया जाए। विस्तृत ब्यौरे एमपीसीडीएफ की वेबसाइट पर डाला जाए तथा विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि सामग्री क्रय संबंधी विस्तृत ब्यौरा वेबसाईट पर उपलब्ध है।

3. टेन्डर फार्म में विक्रय हेतु आवश्यक शर्तो/स्पेसिफिकेशन का समावेश कर निविदाकारों को उपलब्ध कराये जाएं।

4. निविदा प्रकाशन के साथ साथ जिन क्रेताओं (सहकारी एवं निजी) के पते उपलब्ध है उन्हें स्पीड पोस्ट/कोरियर/ई–मेल के माध्यम से टेण्डर प्रकाशन की सूचना दी जाए। सहकारी संस्थाओं को धरोहर राशि जमा करना आवश्यक नहीं होगा। धरोहर राशि (Earnest Money), विक्रय की जाने वाली सामग्री के मूल्य की न्यूनतम 2 प्रतिशत राशि होना चाहिए। परंतु किसी विशेष वस्तु/मद (आयटम) हेतु यह अधिक भी रखी जा सकती है।

5. निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकर्ताओं/प्रतिनिधि एवं समिति सदस्यों के समक्ष खोली जाएं।

6. संयुक्त निविदा दुग्ध संघों की आपसी सहमति से एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी एक दुग्ध संघ द्वारा बुलाई जा सकती हैं। बेहतर दरें प्राप्त करने की दृष्टि से एकजाई टेण्डर की यह व्यवस्था प्रोत्साहित की जाना चाहिए।

7. एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों के विपणन, गुण नियंत्रण, एम एंड पी, वित्त, संयंत्र संचालन तथा क्रय शाखा के शाखा प्रमुखों एवं जिन दुग्ध संघों के उत्पाद विक्रय होना है उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा।

8. निविदा में प्राप्त दर प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाए कि दरें वर्तमान बाजार मूल्य से या गत वर्ष की अनुमोदित दर या अन्य दुग्ध संघों की वर्तमान दर से काफी कम है या निविदाकर्ताओं द्वारा गठजोड कर दरें प्रस्तुत की हैं तो वाजिब मूल्य प्राप्ति के दृष्टिगत अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से निगोशियेशन किया

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

जाए। इस निगोसियेशन के पश्चात भी यदि प्राप्त निविदा दर संतोषप्रद नहीं है तो नवीन निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाए ।

9. यदि कोई भी प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाया गया या कम से कम तीन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं तब पुनः 20 दिन का समय देते हुए निविदा बुलाई जाएगी जिस हेतु बिन्दु क्रमांक 2 से 6 में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जाए। कार्य की विशेष आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से अनुमति पश्चात् अल्पकालीन निविदा बुलवाई जा सकेगी ।

10. **नेशनल को–ऑपरेटिव ऑफ डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीडीएफआइ) ई–मार्केट अंतर्गत नीलामी प्रक्रिया**

10.1 **नीलामी विकय (ऑक्शन सेल) :**
प्रचलित निविदा प्रणाली एवं उसके पश्चात होने वाले निगोशिएशन के स्थान पर नीलामी विक्रय प्रक्रिया उपयोग में लायी जा सकती है । इसके अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा उत्पाद की मात्रा प्रस्तावित की जाती हैं जबकि क्रेताओं द्वारा नीलामी के माध्यम से उत्पाद के क्रय मूल्य तथा वांछित मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इसमें नीलामी के पूर्व दुग्ध संघ को अपना प्रस्तावित मूल्य प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती ।

एक बार जब नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो एनसीडीएफआई ई–मार्केट द्वारा वांछित मात्रा एवं दर की संपूर्ण जानकारी दुग्ध संघ को उनके अनुमोदन अथवा अस्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है जिसका एक निश्चित समयावधि में उत्तर अपेक्षित होता है । यदि क्रेता द्वारा प्रस्तावित मूल्य विक्रेता (दुग्ध संघ) को स्वीकार होता हैं उस दशा में अनुबंध निष्पादन पूर्ण माना जाता है । सामान्यतः यह देखा जाता है कि नीलामी उस समय अधिक उचित होती है जब बाजार का परिदृश्य क्रेता के पक्ष में होता है।

मुख्य बिन्दु :

I. नीलामी सामान्यतः प्रत्येक सोमवार को होती है ।
II. ईएमडी/ट्रांजेक्शन चार्जेस की राशि विक्रेता (दुग्ध संघ) द्वारा देय नहीं होती ।
III. क्रेता से मूल्य की 0.3 प्रतिशत की दर पर ट्रांजेक्शन फीस (जीएसटी को छोड़कर) वसूल की जाती है ।

10.2 **फॉरवर्ड ऑक्शन :**

यह मूल्य वृद्धि के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित नीलामी प्रक्रिया है । इसमें विक्रेता (दुग्ध संघ) मात्रा के साथ ही न्यूनतम आधार मूल्य (एक्स डेयरी), जिस पर वे उत्पाद विक्रय करना चाहते हैं, का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं । न्यूनतम मूल्य, विक्रेता (दुग्ध संघ) द्वारा घोषित किया जाता है । एक बार विक्रेता (दुग्ध संघ) द्वारा मूल्य घोषित कर दिए जाने पर यह माना जाता है कि विक्रेता (दुग्ध संघ) उत्पाद विक्रय हेतु पूर्ण रूप से सहमत हैं। क्रेता इस मूल्य पर कय हेतु उत्पाद मात्रा प्रस्तावित करते है। यह नीलामी उस समय अधिक उचित होती है जब बाजार का परिदृश्य विक्रेता के पक्ष में होता है । कई अवसरों पर जब उत्पादों की अत्यधिक मांग होती है, फॉरवर्ड ऑक्शन विक्रेताओं को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में सहायक होता है । इस नीलामी प्रक्रिया में क्रेता एवं विक्रेता दोनो को ईएमडी राशि जमा करना होती हैं, अतः इस प्रक्रिया में वास्तविक क्रेता एवं विक्रेता द्वारा ही भाग लिया जाता है।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

मुख्य बिन्दु :

I. नीलामी सामान्यतः प्रत्येक बुधवार को होती है ।

II. उत्पाद विक्रय के लिये विक्रेता से उत्पाद की प्रस्तावित मात्रा पर तथा क्रेता से उसके द्वारा क्रय उत्पाद की मात्रा के आधार पर रू. 4000 प्रति मे.टन की दर पर ईएमडी वसूल की जाती है ।

III. विक्रेता से विक्रय मूल्य के अनुसार ट्रांजेक्शन फीस 0.1 से 0.3 प्रतिशत की दर पर (जीएसटी को छोड़कर) वसूल की जाती है ।

10.3 कंटीन्यूअस मार्केट :

फॉरवर्ड ऑक्शन अंतर्गत विक्रय के पश्चात शेष मात्रा अथवा अतिरिक्त मात्रा को एनसीडीएफआई ई–मार्केट पोर्टल पर कंटीन्यूअस मार्केट अंतर्गत प्रदर्शित किया जा सकता है। इच्छुक क्रेताओं द्वारा सोमवार से शुक्रवार के दौरान प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक नीलामी में भाग लिया जा सकता है। विक्रेता द्वारा उच्चतम नीलामी दर अथवा विक्रेता द्वारा प्रदर्शित न्यूनतम दर पर क्रेता को इच्छुक मात्रा का विक्रय किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्रेता तथा विक्रेता दोनों के द्वारा किसी भी कार्य दिवस को आवश्यकतानुसार क्रय –विक्रय किया जा सकता है।

10.4 प्राइस वेलिडिटी ऑक्शनः

सामान्यतः जब अधिक मात्रा में विक्रय किया जाता है, तब विक्रेताओं द्वारा मात्रा के आधार पर क्रेताओं को विक्रय मूल्य में छूट दी जाती है। इस प्रकार की छूट बाजार के परिदृश्य पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, अधिक मांग के समय विक्रेता उनके पास उपलब्ध मात्रा की जानकारी तब तक उपलब्ध नहीं कराते जब तक उनके पास कोई निश्चित क्रेता न हो।

इस प्रकार की नीलामी में प्रारंभिक क्रेता द्वारा दर प्रस्तुत की जाती है। जिस पर विक्रेता दुग्ध संघ द्वारा सहमति दिए जाने पर नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रक्रिया अंतर्गत रिजर्व मूल्य प्रस्तावित किया जाता है जो कि प्रस्तावित मूल्य से रू. 1 अधिक होता है। नीलामी के माध्यम से अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बाजार के परिदृश्य में क्रेता द्वारा प्रस्तावित दर की उपयुक्तता का ज्ञान होता है।

मुख्य बिन्दुः

I. इस प्रकार की नीलामी प्रक्रिया आवश्यकतानुसार प्रारंभ की जा सकती है।

II. विक्रेता तथा क्रेता दोनों को रु. 2000 प्रति टन की दर पर ईएमडी देय होती है।

III. क्रेता को कुल मूल्य का 0.2 प्रतिशत (जीएसटी छोड़कर) प्रभार देना होता है और विक्रेता को कोई भी प्रभार देना नहीं होता है।

नीलामी प्रक्रिया अंतर्गत व्यापार सुनिश्चित रहता है तथा किसी भी डेयरी उत्पादन हेतु न्यूनतम मात्रा 100 मे. टन है।

11. स्क्रेप सामग्री यथा पैकिंग मटेरियल का वेस्टेज, अनुपयोगी/अनसर्विसेबल स्पेयर पुर्जे/टायर, टूटे फूटे प्लास्टिक क्रेट, ड्रम कोयले की राख, केन, मशीनें ,फर्नीचर आदि के विक्रय के पूर्व एक समिति गठित कर उनकी अनुपयोगिता बावत् प्रमाणीकरण कराया

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL ★

जाए। साथ ही समिति द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाए । प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सामग्री अनुपयोगी घोषित करने का आदेश जारी किया जाए। इसके पश्चात सामान्य विक्रय प्रक्रिया अपनाकर विक्रय की कार्यवाही की जाए।

अनुपयोगी सामग्री के डिस्पोजल के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक केलेण्डर निर्धारित कर दिया जाए। इस कैलेण्डर में अनुपयोगी सामग्री को चिन्हित करना, अनुपयोगी घोषित कराना, निविदा कार्यवाही कर विक्रय करना आदि का निर्धारण समिति द्वारा किया जाए।

12. सामान्य स्केप सामग्री के विक्रय हेतु वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की जाए ।

13. स्क्रेप सामग्री के लिए दरें एकमुश्त (लॉट बेसिस पर) या कुछ सामग्री के लिए संख्या या किलोग्राम एवं कुछ सामग्री हेतु एकमुश्त वर्ष भर में जितनी उपलब्ध हों, के आधार पर बुलाई जा सकती हैं।

14. स्पेयर्स एवं मशीनरी लोहा तथा एल्यूमीनियम स्केप, गैरेज स्क्रेप सामग्री, विद्युत स्केप, बीयरिंग आदि लॉट बेसिस पर विक्रय करना चाहिए। ये लॉट पृथक से तैयार करना चाहिए जो कि विक्रय समिति सदस्यों द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित की गई हों।

15. पैकिंग के विभिन्न गत्ते के डिब्बे, कांच की टूटी बोतलें, पैकिंग की लकडी, जला हुआ तेल (गैरेज,कम्प्रेशर का) या खराब फरनेस ऑयल, एसएमपी बैग, पाउच फिल्म, ड्रम आदि का विक्रय साल भर में समय समय पर उपलब्ध मात्रा/संख्या के आधार पर अनुमोदित दर पर विक्रय किया जाए।

16. पाउच फिल्म के स्केप हेतु एकमुश्त दरें बुलाकर वर्ष भर में उपलब्ध समस्त मात्रा के आधार पर विक्रय किया जाए। इसमें वेस्टेज की मात्रा को भी आधार बनाया जाए।

17. स्क्रेप निविदा दस्तावेज हिन्दी में तैयार किये जाने चाहिए जिसमें लॉट वाइस, आईटम वाइज या ग्रुप वाइज धरोहर राशि निर्धारित करनी चाहिए (न कि एक ही धरोहर राशि सभी सामग्री के लिए) ताकि अधिक से अधिक स्केप डीलर्स भाग ले सकें।

18. स्क्रेप दर आमन्त्रण तथा निर्धारण की प्रक्रिया पूर्व में उल्लेखित सामग्री क्रय प्रक्रिया के अनुसार रहेगी। (क्रय/प्रदायक के स्थान पर विक्रय/क्रेता पढा जाए)।

19. स्क्रेप आयटम्स की दरें अनुमोदित क्रेता को लिखित में निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो एवं संदर्भ को अंकित करते हुए सूचित की जाएं। दर अनुमोदन दो प्रतियों में प्रेषित किया जाए एवं एक प्रति क्रेता के हस्ताक्षर एवं सील के साथ स्वीकृति प्राप्ति बतौर वापिस प्राप्त की जाए।

20. स्क्रेप सामग्री, केता को बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत क्रय शाखा/वित्त/स्टोर/एमआईएस/ यांत्रिकी शाखा प्रभारी एवं सुरक्षा पर्यवेक्षक की समिति द्वारा सौंपा जाए। स्केप आइटम की गणना, लोडिंग तथा तौल के समय समिति सदस्य उपस्थित रहें तथा तौल/गणना विवरण पर हस्ताक्षर कर सत्यापित करें। समिति यह भी सुनिश्चित करे कि क्रेता केवल वे ही सामग्री ले जाएं जो उनके पक्ष में अनुमोदित है।

M.P. State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

21. किसी भी प्रकरण में सामग्री क्रेता एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर आर्बिट्रेशन एक्ट अनुसार कार्यवाही संपादित की जावे। किसी भी प्रकरण में सामग्री क्रेता एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर अध्यक्ष दुग्ध संघ, एमपीसीडीएफ का प्रतिनिधि तथा आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि की संयुक्त समिति को आर्बिट्रेशन हेतु प्रकरण प्रेषित किया जाए ।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL